

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 154/2023

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति
तरखान निवासी 6 वी धनूर तहसील
श्रीकरणपुर।

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जारिये
तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजु:- 01.06.2023

उपस्थित: 1. श्री इन्द्राज सेजु अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 26.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 112/112 में 5.946 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के नाम संयुक्त खातेदारान के साथ दर्ज है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा अंकित है। उक्त जमाबन्दी के क्रमांक संख्या 1 पर वादी का नाम मोतीराम पुत्र मोहन सिंह दर्ज है। वादी को उक्त भूमि जरिए विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त इंतकाल में वादी का नाम मोतीराम पुत्र मोहन सिंह अंकित है। लेकिन वादी के पहचान संबधी दस्तावेजात में वादी का नाम मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज है। वादी उक्त वर्णित खाता में नाम संशोधन करवाकर उसके स्थान पर मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह नाम अंकित करवाना चाहता है। वादी के नाम में भिन्न होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्रधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 112/112 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम मोतीराम पुत्र मोहन सिंह के स्थान पर मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

अधिवक्ता (राजस्व)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 3555 दिनांक 20.06.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 11 एस की जमाबन्दी के खाता संख्या 112 में मोतीराम पुत्र मोहन सिंह नाम दर्ज है। वाद को उक्त भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 285 से प्राप्त हुई है। जिसमें नाम मोतीराम पुत्र मोहन सिंह अंकित है। जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, में मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह नाम अंकित है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि मोती सिंह व मोतीराम एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का नाम मोती राम उर्फ मोती सिंह किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजरव ग्राम चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 112/112 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा राजस्व ग्राम चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 112/112 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम मोती राम पुत्र मोहन सिंह के स्थान पर मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 11 एस की जमाबन्दी के खाता संख्या 112 में मोतीराम पुत्र मोहन सिंह नाम दर्ज है। वाद को उक्त भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 285 से प्राप्त हुई है। जिसमें नाम मोतीराम पुत्र मोहन सिंह अंकित है। जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, में मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह नाम अंकित है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि मोती सिंह व मोतीराम एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का नाम मोती राम उर्फ मोती सिंह किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 79 के खाता संख्या 112/112 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम मोती राम पुत्र मोहन सिंह के स्थान पर मोती सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्वा डिक्री इस आशय का जारी


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

भोती सिंह बनाम राजस्थान सरकार
बाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या 154/2023

हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।
पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जावता पत्रावली
दाखिल दफ़्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) गंगानगर
श्रीकरणपुर

नेर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के
संग अभियान-2023, ग्राम पंचायत 27 एफ कमीनपुरा में सुनाया गया।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) गंगानगर
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

राजेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरक्ट मुकदमा नम्बर 48/2023

निर्णय दिनांक :- 26.06.2023

यह मुकदमा आज वारंते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री भगवान दास, रामदयाल उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 60 एफ, पटवार हल्का 61 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 77/78 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम राकेश कम्बोज पुत्र नरेश कुमार के स्थान पर राकेश कम्बोज उर्फ राजेश कुमार पुत्र नरेश कुमार दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 26.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) अधिकारी
श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| योग | 02 | 00 | योग | 00 | 00 |

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) अधिकारी
श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर
दिनांक: 26.06.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/358

प्रतिनिधि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर